5-9-24 आज मामला व मामला के अधिवक्ता उपस्थित है। इस प्रार्थनापत्र वादी मिश्री। उपरोक्त प्रार्थनापत्र 21R CPC बाबत पेश किया। जो सामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पर कार्यालय से पत्रावली तलब की गई। प्रार्थनापत्र की सुनवाई पाया गया कि प्रार्थनापत्र मूल वाद दि० 4-9-2023 को अदम पैरवी व अदम हाजिरी में खारिज हो चुका है इसलिए अब प्रार्थनापत्र 21R CPC के चलाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी स्थगन आदेश दि० 11-6-23 खारिज किया जाता है। अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर डिस्प्लेस की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बाड़ी (धौलपुर) राज.